न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प भोपाल

R 1037 PB 2017

रिविजन प्रकरण क्रमांक /17

दिनेश राजपूत

पुत्र श्री देवीसिंह राजपूत

आयु वयस्क निवासी–ग्राम बम्हन गांव,

हरदा (म.प्र) ---------- रिविजनकर्ता/अनावेदक

विरूद्ध

रामेश्वर गुर्जर

पुत्र श्री रामकरण गुर्जर,

आयु वयस्क, निवासी–ग्राम बम्हन गांव,

जिला हरदा (म.प्र) ---------- उत्तरदाता/आवेदक

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

यह कि रिविजनकर्ता माननीय अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/09/2016 जिसकी जानकारी रिविजनकर्ता को माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व मामले का नोटिस, जिसमे सुनवाई दिनांक 27/02/2017 को प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात रिविजनकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 07/09/2016 की सत्यप्रतिलिपि जो कि रिविजनकर्ता को दिनांक 07/03/2017 को प्राप्त हुई। उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्ता निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह रिविजन प्रस्तुत करता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1037–पीबीआर/17 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	